दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शुक्रवार, 01 अक्तूबर 2010/ आश्विन 9, 1932 (शक)

संख्या-93

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: —

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व श्री सतप्रकाश राणा, ओ.पी.बब्बर, और रमेश विधूडी, को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग, के सामने से दिनॉक 28.09.2010 को अपराहन 12.50 बजे नज़रबंद किया गया।"

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनॉक 28.09.2010 अपराह्न 13.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

> पी.एन.मिश्रा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday 1st October 2010/ Asvina, 09, 1932(Saka)

No.93

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi; S/Shri Sat Prakash Rana, O.P.Babber, and Ramesh Bidhuri, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Ist barricade in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 12.50 PM on 28.09.2010.

They were released at 13.00 PM on the same date."

P.N. Mishra Secretary